

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥
:: दिनांक 19.06.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 19.06.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री दीपक कुमार,
महानिरीक्षक गृह,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री कृष्णकांत सांखला,
सहायक निदेशक परिवीक्षा,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

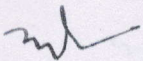
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 02 बंदियों का प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
लालचन्द उर्फ लालिया पुत्र कचरूमल	वि.के.का. श्यालावास	956/2026	12.05.2026	13.05.2026
नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र नेनूराम दत्तक पुत्र चतराराम	के.का.अजमेर	2224/2026	10.06.2026	18.06.2026

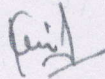
स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

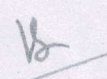
1. दण्डित बंदी नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र नेनूराम दत्तक पुत्र चतराराम, केन्द्रीय कारागृह अजमेर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, संख्या 02 भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2020 अंतर्गत धारा 376,302 आई.पी.सी. में









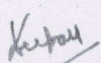
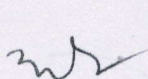


दिनांक 01.04.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 279/2014 अंतर्गत धारा 341,323,336,447/34 आई.पी.सी. में दिनांक 03.01.2022 को 03 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2224/2026 नारायण बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 10.06.2026 पारित किया है कि " In the present case, the petitioner's case was found to fall under Rule 3(d) of the Rules of 1972, and the Committee constituted under the Rules has considered the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp and rejected his application only on the ground that the case of the petitioner fell under Rule 3(d) of the Rules of 1972. As per the decision of the Co-ordinate Bench of this Court in the case of Sandeep (supra) [referred to here in above] has taken the view that the words "shall ordinarily be not eligible for being sent to Open Camp" do not absolutely prohibit the consideration of the case of the prisoners for admission to the Open Camp and each case should be considered and decided in the light of the special circumstances to be made out. Resultantly, the instant criminal writ petition (parole) is allowed. The impugned minutes of the meeting dated 09.09.2025 are set aside qua the present petitioner and the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp is remanded back to the Committee for re-consideration and decision, if the petitioner makes out any special circumstances for deviating from the general ineligibility criteria contemplated under Rule 3(d) of the Rules of 1972. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of submission of a certified copy of this order."

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.06.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 15.06.2026 की स्थिति में 07 वर्ष 11 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र नेनूराम दत्तक पुत्र चतराराम को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।



2. दण्डित बंदी लालचन्द उर्फ लालिया पुत्र कचरूमल, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह

श्यालावास:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2003 अंतर्गत धारा 302/148, 460, 376(2)जी, 395 आई.पी.सी. में दिनांक 21.06.2003 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया था। गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 21.06.2012 में अंकित है कि "गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.नं. 14/4/2004-ज्युडिसियल सेल दिनांक 08.05.2012 के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित बंदी लालचन्द उर्फ लालिया पुत्र कचरूमल की सजा को आजीवन कारावास की सजा में इस शर्त के साथ परिवर्तित किया गया है कि उक्त बंदी जीवन पर्यन्त जेल में रहेगा तथा इनकी सजा का कोई लघुकरण नहीं किया जायेगा।"

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगतने जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। तत्समय समिति द्वारा बंदी को उक्तानुसार सजा होने को दृष्टिगत रखते हुए बंदी का कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 956/2026 लालचन्द बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 12.05.2026 पारित किया है कि "We have considered the submissions made by the bar and have gone through the relevant record of the case. We find that the case of the present convict-petitioner is almost same to the case of Vedprakash @ VEDIYA (supra), therefore, the convict-petitioner is also entitled for transfer from Central Jail, Bikaner to Open Air Camp, Bikaner in accordance with the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972. In view of the above discussions, the present D.B.Criminal Writ Petition merits acceptance and the same is allowed. The respondents are directed to transfer the convict-petitioner from Central Jail, Bikaner to Open Air Camp wherever the vacancy is available. Needless to say that the convict-petitioner shall be required to fulfill all other requisite formalities for the same."

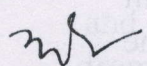
माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.05.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण बैठक दिनांक 15.05.2026 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 13.05.2026 की स्थिति में 27 वर्ष 03 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। बंदी को अंतर्गत धारा 302/148, 460, 376(2)जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने को दायर याचिका के निर्णय अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ.नं. 14/04/2004 ज्युडिसियल सेल दिनांक 08.05.2012 द्वारा

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 72 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में इस शर्त के साथ परिवर्तन किया है कि बंदी जीवनपर्यन्त जेल में रहेगा तथा इस सजा का कोई लघुकरण नहीं किया जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से "महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बंदी की सजा में अंकित शर्त के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2026 की पालना में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत प्रकरण पर विचार किया जाना है अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2026 चुनौती योग्य है," इस बाबत राजकीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से विधिक राय प्राप्त की जाकर तदनुसार प्रकरण निस्तारण हेतु आगामी बैठक में रखे जाने हेतु प्रकरण आगामी बैठक में विचार किये जाने हेतु अग्रेषित किया गया।

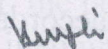
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में वेदप्रकाश उर्फ वेदिया बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 236/2021 निर्णय दिनांक 16.06.2021 के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

उक्त रिट याचिका में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा बंदी वेदप्रकाश को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी लालचन्द उर्फ लालिया पुत्र कचरूमल को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।



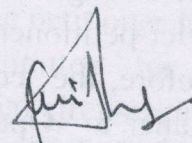
(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार,
राजस्थान
जयपुर



(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार,
राजस्थान
जयपुर



(दीपक कुमार)
सदस्य
महानिरीक्षक गृह,
गृह (ग्रुप-12)
विभाग, राजस्थान,
जयपुर



(कृष्णकांत सांखला)
सदस्य
सहायक निदेशक
परिवीक्षा,
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर



(जगमोहन मिश्रा)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान, जयपुर